न्यायालय जिला न्यायाधीश, मेडता (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी- अरूण कुमार बेरीवाल,
[जिला न्यायाधीश, मेड़ता, (नागौर)]
दीवानी अपील डिक्री संख्या- 07/2018
सी.आई.एस.संख्या- 07/2018
(Targetted Case No. - 05)

1. जतनराज मेहता पुत्र श्री प्रेमराज मेहता,
2. पुखराज मेहता पुत्र श्री उम्मेदमल मेहता,
3. राजकुमार पुत्र श्री सोहनराज मेहता,
4. सज्ञनराज पुत्र श्री अमृतराज मेहता,
5. नेमराज पुत्र श्री जतनराज मेहता,
निवासीगण मेड़तासिटी, तहसील मेड़ता, जिला नागौर, राजस्थान।

...अपीलार्थीगण

::विरूद्ध::

1. श्री वर्द्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ मेड़ता सिटी, जरिए कथित मंत्री हस्तीमल डोसी पुत्र श्रीचंद जी डोसी, निवासी मेड़तासिटी, तहसील मेड़ता, जिला नागौर, राजस्थान,
2. जब्बरचंद चौरड़िया पुत्र श्री भंवरलाल चौरड़िया, निवासी मेड़ता सिटी कथित अध्यक्ष श्री वर्द्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ मेड़ता सिटी।

...प्रत्यर्थीगण

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.03.2018 जो कि लतिका दीपक पारासर, आर. जे. एस. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, मेड़ता द्वारा दीवानी मूल वाद संख्या 86/2005, (72/2003) श्री वर्द्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ बनाम जतनराज व अन्य में पारित किया गया।

...

उपस्थित-

1-श्री अब्दुल सलीम अंसारी, अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से।

2-श्री सुरेन्द्र कुमार जैन व श्री गोपीकिशन जोशी, अधिवक्तागण प्रत्यर्थीगण की ओर से

::निर्णय::

दिनांक 13.03.2026

1. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील न्यायालय हाजा में सर्वप्रथम प्रस्तुत हुई, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि योग्य अदालत ने स्थाई निषेधाज्ञा पारित करने में बड़ी भारी भूल की है, रेस्पोडेंट जिस संघ का

स्वयं को मंत्री व अध्यक्ष बताते हैं वह 13.03.2001 को समाप्त हो गया है, प्रदर्श ए–5 से हस्तीमल का त्यागपत्र किया जाना प्रमाणित है, दिनांक 14.03.2000 के पश्चात चुनाव होने का दस्तावेज प्रमाण नहीं है, इस प्रकार रेस्पोडेंट सं. 1 व 2 उक्त संघ के विधिक पदाधिकारी नहीं होते हुए वाद प्रस्तुत किया, जिसे पोषणीय मानने में योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने बड़ी भारी भूल की है।

2. रेस्पोडेंट ने वीर भवन एवं श्री जयमल जैन छात्रावास को उक्त संघ की सम्पत्ति होने तथा दोनों सम्पत्तियों को विवादित होने व दोनों सम्पत्तियों का स्वामित्वाधिकार, उपयोग व उपभोग होने के गलत, बनावटी आधार पर वाद किया है। योग्य अदालत ने महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रदर्श ए 15, प्रदर्श ए 19, प्रदर्श ए 16, प्रदर्श ए 21 साक्ष्य पर रेस्पोडेंट के मौखक कथन, जो उक्त दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत है, को आधार मानकर डिक्री पारित करने में बड़ी भारी भूल की है। श्री वर्द्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ का पंजीकृत विधान के अंतर्गत अध्यक्ष श्री किशनराज जी थे तथा उसके आधार पर प्रपत्र 6 दिनांक 26.07.2024 का पेश किया। मेड़ता शहर में स्थानकवासी जैन श्रावक संघ व्यक्तियों का समूह है, जिसकी भिन्न–भिन्न सम्पतियां, भिन्न–भिन्न स्थानकवासी समप्रदाय की है।

3. यह निर्विवाद तथ्य है कि भवन एवं छात्रावास अलग–अलग सम्पत्तियां है जिनका उद्धेश्य भी भिन्न–भिन्न है। शनै–शनै समय–समय पर छात्रावास ट्रस्ट ने नवनिर्माण, परिवर्तन, परिवर्धन एवं सुधान किया गया। छात्रावास संचालन के पश्चात खरीदी गई सम्पत्तियां जरिए रजिस्टर्ड बेचाननामा प्रदर्श ए 21 व ए 16 एवं नगरपालिका से प्रदर्श ए 18 से खरीद की, इन खरीदी हुई सम्पत्तियों में मार्क एक्स व वाई दरवाजा तथा मार्क आर सीढ़ियां तथा अ, ब बरामदा तथा मार्क ओ, पी व जेड है। मार्क पी से क्यू पर जाली लगाना छात्रों के विद्याध्ययन एवं बावास की सुरक्षा तथा छात्रावास की व्यस्था के अन्तर्गत है। मार्क अ, ब बरामदा का उपयोग व उपभोग रेस्पोडेंट का रहा हो, ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है, मार्क आर पर पूर्व से फाटक लगी होना स्वीकृत तथ्य है। योग्य अधीनस्थ अदालत ने मार्क पी, क्यू खुले भाग में सुरक्षा हेतु जाली लगाने से रेस्पोडेंट को क्षति होना मानने में व मार्क आर सीढ़ियां होने व फाटक होने मात्र से रेस्पोडेंट का वाद डिक्री करने में बड़ी भारी भूल की है। डिक्री जैर अपील स्थाई प्रकृति की नहीं है, बल्कि कंडीशनल डिक्री है। विधि में कंडिशनल स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री का प्रावधान नहीं है।

4. रेस्पोडेंट ने अपनी साक्ष्य में प्रतिवादीगण का छात्रावास में ट्रस्टी होना स्वीकार किया है। रेस्पोडेंट ने मार्क पी, क्यू व अ, ब बरामदा वीर भवन की भूमि होना तथा मार्क पी, क्यू पर जालियां लगाकर छात्रावास में सम्मिलित का अभिवचन किया, किन्तु रेस्पोडेंट ने अपनी साक्ष्य से उक्त अभिवचन को साबित नहीं किया। योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार न कर मात्र मौखिक साक्ष्य पर डिक्री पारित करने में बड़ी भारी भूल की है, अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार किए जाने का निवेदन किया।

5. न्यायालय द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दीवानी अपील डिक्री पर उभय पक्ष को सुना। जैर अपील निर्णय व डिक्री एवं विद्वान वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, मेड़ता में लम्बित पत्रावली दीवानी मूल वाद सं. 86/2005 श्री वर्द्धमान स्थानकवासी विरूद्ध जतनराज व अन्य की पत्रावली तलब कर मंगवाई गई व परिशीलन किया गया।

6. अधिवक्ता अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से बहस है कि विद्वान वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, मेड़ता द्वारा पारित जैर अपील निर्णय व डिक्री पूर्णतया अवैध, अनुचित व अपास्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य को गौण कर मौखिक साक्ष्य से दावा डिक्री किया गया है। छात्रावास व भवन दोनों अलग–अलग सम्पत्तियां है, जिनका अलग–अलग उपयोग व उपभोग किया जाता है, विवादित स्थल पर मार्क पी से क्यू जाली लगाने से दोनों सम्पत्तियों का उपयोग व उपभोग और सुलभ तरीके से हो सकता है, विवादित सम्पत्ति के नजरी–नक्शा अनुसार मार्क आर पर पूर्व से फाटक लगा होना प्रमाणित है। छात्रावास व संघ के मध्य हुए समझौते दिनांक 31.05.1979 के अवलोकन से प्रकट है कि छात्रावास एक स्वतंत्र इकाई है, जिससे मार्क पी से क्यू पर जाली लगाई जाने से किसी प्रकार का अवरोध संघ को नहीं होना चाहिए। उक्त संघ के अध्यक्ष व सदस्य कभी रेस्पोडेंट नहीं रहे हैं। अतः योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जाली लगाने के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा पारित किया जाना विधि की भूल है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जावे। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए–

1– 2017(1) Civil Courts Cases 242 (Rajasthan), RHC, New Apostokic Church Charitable trust through Executive Members. Vs Samuel Masih.

2– 1997 DNJ (SC) 6 SC, Sri Hanumanthappa Vs

Sri Muninarayanappd.

3– 2017(SUPPL.) Civil Courts Cases 611 (SC) S.N.D.P. Sakhayogam Vs Kerala Atmavidya Sangham & Ors.

अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से अपने तर्कों के समर्थन में न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, मेड़ता के दीवानी मूल वाद सं. 112/2017 श्री वर्द्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ बनाम जेठमल वगैरह प्रतिवादी सं. 3 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का आदेश पेश किया जिसे उपरोक्त न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 22.11.2022 के जरिए अस्वीकार कर खारिज किया गया। अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने देवस्थान विभाग द्वारा दिनांक 03.02.2004 को जारी आदेश के विरूद्ध माननीय राज. उच्च न्यायालय में स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अपील प्रस्तुत की, जिसकी प्रति भी पेश की है, जिनका न्यायालय द्वारा ससम्मान अवलोकन किया गया।

7. जिसका विरोध विद्वान वकील प्रत्यर्थीगण की ओर से यह कहते हुए किया गया कि पारित जैर अपील निर्णय व डिक्री पूर्णतया जायज व उचित है। उनकी यह भी बहस है कि अपीलार्थीगण ने यह वाद स्थाई निषेधाज्ञा बाबत पेश किया था जिस बाबत विचारण न्यायालय ने पूर्ण विधिक ढंग से निर्णय पारित किया है। बरण्डा मार्क पी, क्यू व अ, ब से बताया गया, यह भूमि वीर भवन की भूमि है, ऐसी अवस्था में प्रतिवादीगण को इस स्थान को जालियां लगाकर छात्रावास के भवन में इस स्थान को सम्मिलित करने का कोई अधिकार नहीं है, जिसे ध्यान में रखते हुए विचारण न्यायालय द्वारा डिक्री पारित की गई है जो पूर्णतया जायज है। अत: अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर खारिज की जावे।

8. उभय पक्षों की बहस सुनी एवं पत्रावली तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.03.2018 का अवलोकन किया।

9. हस्तगत अपील के निस्तारण हेतु निम्न **विचारणीय बिन्दु है कि–**

'क्या विद्वान वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, मेड़ता द्वारा पारित जैर अपील निर्णय व डिक्री दिनांक 07.03.2018 तथ्यात्मक वैधानिक रूप से सही है या नहीं?"

10. विद्वान वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, डेगाना ने प्रकरण में कुल 8 विवाद्यक विरचित किए। जिसमें विवाद्यक सं. 1 को साबित करने का भार

वादीगण पर था। <u>विवाद्यक सं. 1</u> विद्वान विचारण न्यायालय ने निम्नानसार मुर्तिब की है कि–

''आया वादपत्र के पैरा सं. 1 के अनुसार वादीगण को यह दावा लाने का अधिकार है?'' (वादीगण)

11. उक्त तनकी के संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय ने यह अवधारणा बनाई कि–

'' इस संबंध में उभयपक्ष की साक्ष्य का परिशीलन करने से जहां वादीगण की साक्ष्य में **<u>पी०ड 01 हस्तीमल डोसी</u>** ने मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि वह श्री वर्द्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ का मंत्री है, जिसे दिनांक 23–11–02 के प्रस्ताव से दावा प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त हुआ, छात्रावास स्थानकवासी संघ ने बनाया है, जिसके प्रबंधन के लिए कार्यकारिणी कायम की हुई है। इस गवाह के द्वारा **<u>प्रदर्श–3 प्रस्ताव</u>** प्रदर्शित करवाया, जो दिनांक 23–11–02 का है। जिसमें उसके मंत्री होने के नाते हस्ताक्षर है और उस वक्त अध्यक्ष जब्बरचंद चौरड़िया का होना बताया गया है। संघ के पुराने रजिस्टर, जिसमें 1951 में जो प्रस्ताव लिया गया है व **<u>प्रदर्श–4 प्रदर्शित</u>** करवाया। प्रतिवादीगण के द्वारा दौराने जिरह इस गवाह से प्रदर्श ए–5 के सम्बन्ध में प्रश्न पूछने पर स्वयं की उपस्थिति इस गवाह ने स्वीकार की है। **<u>प्रदर्श ए–5 दिनांक 29–3–2001</u>** की कार्यवाही रिपोर्ट है, जिसमें जब्बरचंद चौरड़िया का स्थानकवासी संघ का अध्यक्ष होना बताया गया है और हस्तीमल डोसी का मंत्री होना बताया गया है। <u>जिस मिटिंग में यह स्पष्ट उल्लेख है कि स्थानक की जमीन पर बने हुए चार कमरों के बारे में विचार–विमर्श किया गया, जिससे यह स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण अपने अभिवचनों में छात्रावास के जिन चार कमरों की बात कर रहे है वे वस्तुतः छात्रावास की जमीन पर ना बने होकर स्थानक की जमीन पर बने हुए है, जिसके बारे में ही विचार–विमर्श किया गया था। यह दस्तावेज स्वयं प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जिससे स्थानक की जमीन पर छात्रावास के चार कमरे बने होने की संभावनाएं प्रबल होती है</u> और चूंकि स्थानक की जमीन की देखरेख और उसके संबंध में दावा लाने के लिए स्थानकवासी संघ को सभी अधिकार प्राप्त है, जिससे प्रतिवादीगण के द्वारा लिये गये इस तर्क से 29–3–01 की मिटिंग के पश्चात् ही वादीगण समाज से अलग हो चुके थे, यह परोक्ष रूप से उभरकर आता है कि इससे पूर्व वादीगण के मंत्री व अध्यक्ष के संबंध में कोई विवाद नहीं था। साक्षी **<u>पी०ड 02 गजेन्द्र, पी०ड 03 महावीर</u>** तथा **<u>पी0 ड 04 विमलचंद</u>** ने भी इसी समान कथन

किए है।

12. जबकि साक्षी **<u>डी0 ड 01 नेमराज मेहता</u>** के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में उल्लेखित कथनों की पुनरावृत्ति की गई है तथा पूर्व में किया गया दावा सं 148/02 का भी हवाला दिया गया है।

13. इसके अतिरिक्त दस्तावेजी साक्ष्य में इस गवाह के द्वारा <u>प्रदर्श ए–1 श्री जैन रत्न हितेषी श्रावक संघ ट्रस्ट मेड़तासिटी न्यासपत्र की प्रमाणित प्रति एवं बेचाननामा दिनांक 16–11–12 व 8–10–12 क्रमशः प्रदर्श ए–2 व ए–3 दस्तावेज पेश किये है</u> तथा उक्त तीनों ही दस्तावेज में विवादित सम्पत्ति का कोई उल्लेख नहीं होने से उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाना स्पष्ट नहीं हो रहा है। जिस संबंध में हालांकि प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क रहा कि उक्त दस्तावेज के माध्यम से प्रतिवादीगण ने यह प्रकट करने का प्रयास किया है कि वादीगण अब अन्य सम्प्रदाय से जुड़ चुके है। परन्तु उक्त दस्तावेजों के द्वारा यह कहीं भी प्रकट नहीं होता है कि उन्होंने श्री वर्द्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ से अपना पृथककरण भी कर लिया हो, या श्रावकसंघ के द्वारा उन्हें निष्कासित कर दिया गया हो।

14. साक्षी **<u>डी०ड 01 नेमराज</u>** ने दौराने प्रतिपरीक्षण यह स्पष्ट कथन किया है कि वीर भवन का उत्तर में जो रास्ता है उस रास्ते से श्री जयमल्ल जैन छात्रावास में आते है। वीर भवन व श्री जयमल्ल जैन छात्रावास के बीच में दीवार नहीं है। वीर भवन में लोग जयमल्ल जैन छात्रावास से आते है और जयमल्ल जैन छात्रावास के लोग वीर भवन में जाते है। नजरी नक्शे में बनी सीढ़ियां और बरामदा तक आने जाने के लिए उनका उपयोग उपभोग भी इस गवाह ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। आगे इस गवाह ने यह भी कथन किया है कि सीढ़िया बनी हुई है और मार्क आर स्थान पर फाटक खुली रहती है तो कोई भी आ जा सकता है, सीढ़ियां में कोई बाधा नहीं होने पर वीर भवन से छात्रावास और छात्रावास से वीर भवन में आया जाया जा सकता है। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकारोक्ति की है कि छात्रावास के लड़के लड़कियां प्रार्थना करने के लिए वीर भवन में इन्हीं सीढ़ियों से आते है। छात्रावास में भोजनशाला बनी हुई है, वीर भवन में कोई भोजनशाला नहीं बनी हुई है और अंत में इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि वादीगण स्थानकवासी है।

15. **<u>साक्षी डी0 ड 02 जसवंतराज</u>** ने भी हालांकि मुख्य परीक्षा के लिखित कथनों की पुनरावृत्ति की है परन्तु प्रतिपरीक्षण में इस गवाह ने यही कथन किया है कि वर्ष 1999 में जब्बरचंद चौरड़िया अध्यक्ष व हस्तीमल डोसी मंत्री थे, प्रदर्श 10 में श्री वर्द्धमान स्थानकवासी जैन

श्रावक संघ लिखा होना सही है, जो 1986 का एक लेटरपेड है जिसमें श्रावक संघ के अन्तर्गत कार्यरत संस्था श्री जयमल्ल जैन छात्रावास का भी उल्लेख किया हुआ है। दोनों सम्पत्तियों के बीच में कोई दीवार नहीं होना भी इस गवाह ने स्वीकार किया है। आगे इस गवाह ने यह भी कथन किया है कि वीर भवन और श्री जयमल्ल जैन छात्रावास जिस स्थिति में बने रहे तो समाज के हित व उपयोग उपभोग होगा अथवा नहीं, यह उसे पता नहीं। अर्थात् इस गवाह ने इस तथ्य से स्पष्ट इनकारी नहीं की है, मात्र अनभिज्ञता जाहिर की है।

16. चूंकि प्रतिवादीगण के साक्षीगण की प्रतिपरीक्षा में यह तथ्य स्पष्ट रूप से उभरकर प्रकट आया है कि 2001 तक वादीगण श्रावक संघ के मंत्री व अध्यक्ष पद पर थे। उसके पश्चात् ही स्थानक के चार कमरों बाबत् विवाद उत्पन्न हुआ, जिस वजह वादीगण का मंत्री व अध्यक्ष पद पर होना विवादित नहीं है। ऐसे में जबकि श्रावक संघ के पदाधिकारियों की स्थिति को लेकर एक अन्य दावा सं 148/02 भी प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत करना बताया गया हो जो इसी न्यायालय का अभिलेख है। जिसके अवलोकन / अध्ययन करने से वीर भवन को मात्र "श्री वर्द्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ" की सम्पत्ति होना माना गया है, न कि किसी संस्था की और उभयपक्ष की साक्ष्य से दिनांक 29-3-2001 के बाद संघ में मन मुटाव आना साबित हो रहा है, जिसके बारे में श्रावक संघ और उसकी वास्तविक कार्यकारिणी या पदाधिकारी कौन होंगे।

17. इस बारे में माननीय जिला न्यायालय में एक दावा लम्बित होना भी प्रदर्श-15 से साबित हो रहा है। ऐसे में जब वर्ष 2003 में दावा प्रस्तुति के समय तथा श्रावक संघ के पदाधिकारी प्रतिवादीगण हो, इसकी स्थिति को लेकर ही असमंजस की स्थिति थी और वादीगण के अध्यक्ष और मंत्री होने के तथ्य को प्रतिवादीगण भी परोक्ष रूप से स्वीकार कर रहे है। जिससे वादीगण को यह दावा लाने का अधिकार नहीं हो ऐसी कोई संभावना उत्पन्न नहीं होती है। बल्कि प्रदर्श-10 जो 1986 का दस्तावेज है, प्रदर्श-9 जो 1999 का दस्तावेज है एवं प्रदर्श-11 जो कि आंमत्रण पत्रिका (जो भी 1986 का दस्तावेज है) और प्रदर्श-2 जो 1988 का दस्तावेज है, उन सभी से श्री वर्द्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ के अन्तर्गत कार्यरत संस्था में श्री जयमल्ल जैन छात्रावास का भी उल्लेख होने के कारण श्रावक संघ का छात्रावास के संबंध में दावा लाने का अधिकार होने की संभावना प्रबल रूप से वादीगण के पक्ष में प्रकट होती है। ऐसे में विवाद्यक सं.1 वादीगण के पक्ष में तय

किया जाता है।"

18. विवाद्यक सं. 2 विद्वान विचारण न्यायालय ने निम्नानसार मुर्तिब की है कि–

''आया वर्द्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ दो भवन जिसका विवरण वादपत्र के पैरा सं 2 में दिया गया, नजरी नक्शा में दर्शित ए से एन में लाल रंग से दर्शित भूमि वीर भवन स्थानक की भूमि व पीले रंग से दर्शित भूमि में जयमल छात्रावास बना हुआ है, जिसकी सुरक्षा देखरेख का अधिकार वर्द्धमान स्थानक श्रावक संघ के अध्यक्ष व मंत्री को प्राप्त है?'' (वादीगण)

19. उक्त तनकी के संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय ने यह अवधारणा बनाई कि–

"इस सम्बन्ध में उभयपक्ष की साक्ष्य का परिशीलन करने से जहां वादीगण के द्वारा साक्षी **पी0 ड 01 हस्तीमल** ने दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 नजरी नक्शा, लेटर पेड प्रदर्श–2 व पट्टा प्रदर्श–7 पेश किया है, जिसमें छात्रावास की जमीन जैन छात्रावास मेड़ता के नाम से खरीद होना प्रकट होता है। जैन श्रावक संघ का लेटर पेड 1 मई 1999 प्रदर्श–9, लेटर पेड दिनांक 29–8–96 प्रदर्श–10, जैन समाज द्वारा छपवाई आमंत्रण पत्रिका असल प्रदर्श–11, दिनांक 14–3–2000 व दिनांक 16–12–2001 की मिटिंग की कार्यवाही की नकलें प्रदर्श–12 व 13 प्रदर्शित करवाये है तथा प्रतिपरीक्षण में इस गवाह ने यही स्पष्ट कथन किया है कि **श्री जयमल्ल जैन छात्रावास की जायदाद स्थानक संघ द्वारा ही खरीद की है जो जरिए प्रदर्श पी–8 खरीदी गई थी। जब से छात्रावास की जमीन खरीदी, इस भवन के पीछे के रास्ते से भवन में संत, साध्वियां लगातार आती जाती है, रास्ता अभी भी मौजूद है। इसी प्रकार साक्षी पी0 ड 02 गजेन्द्र, पी०ड 03 महावीर व पी0 ड 04 विमलचंद** ने जयमल्ल जैन छात्रावास और वीर भवन को श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ संस्था के अन्तर्गत आना बताया है।

20. हालांकि इस संबंध में प्रतिवादीगण की ओर से **डी0 ड 01 नेमराज** व **डी0 ड 02 जसवंतराज** को परीक्षित करवाया गया है और इस सम्बन्ध में दस्तावेज प्रदर्श ए–6 प्रदर्शित करवाया है, जिसमें भी जयमल्ल जैन छात्रावास को स्थानक की सम्पत्ति होना बताया है, जो दस्तावेज प्रतिवादी के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया है, हालांकि इसके सम्बन्ध में आगे प्रदर्श ए–7, ए–10 और ए–11 विभिन्न निर्णय प्रस्तुत किए गए है, परन्तु उक्त सभी के संबंध में अंत में यह स्थिति उभरकर आयी है कि जयमल्ल जैन छात्रावास के स्वामित्व के सम्बन्ध में दावा प्रदर्श–6 के

जरिए और श्रावक संघ की कार्यकारणी के सम्बन्ध में दावा प्रदर्श–ए 15 के जरिए जिला न्यायालय में लम्बित है। हालांकि प्रतिवादीगण के द्वारा प्रदर्श A15 प्रदर्श A15 के जरिए जयमल्ल जैन छात्रावास को एक ट्रस्ट के जरिए संचालित होना बताया गया है जिससे वादीगण ने कोई स्पष्टतया इनकारी नहीं की है और ना ही उनके द्वारा खण्डन साक्ष्य में कोई विशेष कथन किये गये है। परन्तु प्रदर्श ए 15 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट रूप से प्रकट हो रहा है कि छात्रावास को बनाने का उद्देश्य "व्यापक रूप से जैन धर्म व धार्मिक शिक्षा देने के संबंध में है" और इसी दस्तावेज के अंत में यह भी स्पष्ट लिखा गया है कि संस्था के स्थिर नहीं रहने से यह जयमल्ल जैन छात्रावास स्थानकवासी समाज के उद्देश्यों में सहानुभूति रखने वाली संस्था को दे दी जावेगी। अर्थात् श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ की धारणा के तहत ही छात्रावास का उद्भव होने की प्रबल सम्भावना है।

21. स्वयं साक्षी **डी०ड 01 नेमराज** ने यह स्पष्ट कथन किया है कि प्रदर्श ए–15 जंवरीमल ओसवाल ने बनाया था और वह भारतप्रकाश के पिताजी थे। इसके अतिरिक्त प्रदर्श 8 के जरिए जिस जमीन की खरीद छात्रावास के लिए वह प्रदर्श–7 पट्टा की भूमि है जो जैन स्थानकवासी के द्वारा खरीद करने का तथ्य उभरकर आया है। प्रदर्श ए–18 भी एक पट्टा है जो प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिससे मूल रूप से यह उभरकर आता है कि जयमल्ल जैन छात्रावास की जमीन स्थानकवासी श्रावक संघ के सदस्यों के द्वारा ही खरीद की गई थी और प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत किए गए 1988 व 1986 के दस्तावेज प्रदर्श–2, प्रदर्श–9, प्रदर्श–10 व प्रदर्श–11 का कोई खण्डन प्रतिवादीगण के द्वारा नहीं किया गया है। जिससे और देवस्थान विभाग के द्वारा श्री जयमल्ल जैन छात्रावास के सम्बन्ध में पारित किए गए निर्णयों के सम्बन्ध में दावा माननीय जिला न्यायालय में लम्बित होने के कारण श्री जयमल्ल जैन छात्रावास के संरक्षण और देखरेख करने का कार्य प्रदर्श ए–15 के जरिए हालांकि एक ट्रस्ट को प्राप्त है, परन्तु वह श्रावक संघ के अधीन कार्यरत ही एक संस्था होने की भी संभावना प्रबल रूप से उपरोक्त विवेचन से उत्पन्न होती है

22. जहां तक वीर भवन के सम्बन्ध में उभयपक्षों में विवाद है तो इस सम्बन्ध में उभयपक्षकारान ने ही अभिवचनों में स्वीकार किया है कि वीर भवन श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ की सम्पत्ति है। अब चूंकि पक्षकारान के मध्य इस संघ के वास्तविक अधिकारी और संस्था को लेकर वर्ष 2001 के पश्चात् मनमुटाव है और इसके सम्बन्ध

में एक दावा प्रदर्श–15 माननीय जिला न्यायालय में पूर्व से ही लम्बित है, जिससे वीर भवन की देखरेख करने का कार्य श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ (मूल) के अध्यक्ष व मंत्री को ही प्राप्त होने की प्रबल संभावना है। जिसके सम्बन्ध में माननीय जिला न्यायालय में वाद प्रदर्श–15 लम्बित है। अतः उपरोक्त समग्र विवेचन से श्री जयमल्ल जैन छात्रावास और वीर भवन की भूमि दोनो ही का संरक्षण और देखरेख का अधिकार श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ को प्राप्त होने की समस्त संभावनाएं वादीगण के पक्ष में है। अतः यह विवाद्यक वादीगण के पक्ष में तय किया जाता है।

23. विवाद्यक सं. 3 विद्वान विचारण न्यायालय ने निम्नानसार मुर्तिब की है कि–

> ''आया नक्शे में दर्शित 'एक्स' व 'वाई' मार्क दो दरवाजों में से छात्रावास की खुली जमीन में से होकर 'आर' सीढ़ियों पर होकर वीर भवन में पहुंचा जा सकता है इस रास्ते का उपयोग सन् 1961 से बिना किसी रूकावट के वादीगण एवं ओसवाल जाति के स्थानकवासी सम्प्रदाय के लोग संत आदि लगातार कर रहे है जिससे उन्हें हक आशयास प्राप्त हो चुके है?'' (वादीगण)

24. उक्त तनकी के संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय ने यह अवधारणा बनाई कि–

"साक्ष्य का ध्यानपूर्वक परिशीलन करने से जहां साक्षी डी0 ड 01 नेमराज ने नजरी नक्शा में दर्शित लाल रंग के स्थान को वीरभवन की भूमि होना बताता है जिसकी पुष्टि स्वयं प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज प्रदर्श ए–5 मिटिंग रजिस्टर से भी हो रही है जिसके अनुसार स्थानक जमीन पर बने हुए चार कमरों के बारे में उल्लेख है जो चार कमरे नजरी नक्शा में दर्शित है। प्रतिवादीगण ने स्पष्ट रूप से यह स्वीकारोक्ति अपने लिखित कथनों में ही की है कि "एक्स और वाई स्थान पर दर्शित दरवाजों का उपयोग जयमल्ल जैन छात्रावास में आने जाने के लिए आवश्यकता होने पर ही किया जाता है और मार्क आर सीढियों और जेड प्लेटफार्म का उपयोग भी वीर भवन के उत्तर में स्थित दरवाजे से बाहर आने जाने के लिए किया जाता है।"

25. जहां तक प्रतिवादीगण का यह तर्क है कि छात्रावास की भोजनशाला का उपयोग और छात्रावास का उपयोग धार्मिक प्रवचन या चातुर्मास में नहीं किया जाता है तो उक्त तर्क कतई मान्य नहीं है क्योंकि उनके द्वारा पत्रावली पर एक दस्तावेज प्रदर्श ए–12 निर्णय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग का जो प्रदर्शित करवाया गया है, उसके पृष्ठ सं. 5 में

इस आशय का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि "प्रार्थी (इस वाद के प्रतिवादीगण) की ओर से पंचाट निर्णय प्रदर्श 38 पेश किया गया, जिसके अनुसार चार कमरों के संबंध में यह लिखा गया है– स्थानक की जमीन पर जो छात्रावास के कमरे बने हुए है वो छात्रावास में ही रहेंगे, मगर चार्तुमास होने पर आवश्यक हो या किसी दीगर समय पर समाज में जरूरत होने पर, पहले समाज इसे काम में ले सकेगा, इसमें ट्रस्ट कोई एतराज नहीं करेगा।"

26. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि चार्तुमास के समय या किसी धार्मिक कार्यक्रम के दौरान जयमल्ल जैन छात्रावास से वीरभवन में संत, सतियों का आना जाना रहा है, जो स्वयं प्रतिवादी के उक्त दस्तावेज से प्रकट हो रहा है। वरना चातुर्मास के समय किस रास्ते से व किस तरीके से छात्रावास के कमरों में वीर भवन से पहुंचा जाएगा। इस सम्बन्ध में कमिश्नर रिपोर्ट प्रदर्श–16 जो दिनांक 30–6–03 को बनी हुई है, का भी अवलोकन करने से इसमें भी यह स्पष्ट अंकन है कि "विवादित सीढ़िया खुली हुई है, जो पूर्व से पश्चिम की तरफ आवागमन के काम में आती है और लोहे की फाटक है जो बाहर की तरफ से बंद की गई है, जिसे खोलकर नहीं देखा जा सका।"

27. ऐसे में उपरोक्त विवेचन के आधार पर जहां स्वयं प्रतिवादी के दस्तावेज से और दौरान साक्ष्य की गई विवक्षित स्वीकृति से यह प्रकट है कि जयमल्ल जैन छात्रावास से छात्रों का वीर भवन में धार्मिक प्रार्थना के लिए जाना जाना है और छात्रावास के चार कमरों का उपयोग भी चातुर्मास के दौरान संत, सतिया करती आयी है, जिससे इस विवाद्यक में वर्णित प्रथम तथ्य कि नजरी नक्शे में दर्शित एक्स व वाई मार्क दो दरवाजों से छात्रावास की खुली जमीन से होकर आर सीढ़िया में से वीर भवन पहुंचने के रास्ते का उपयोग, इसके निर्माण वर्ष 1961 से किया जाता रहा है, की समस्त संभावनाए वादीगण के पक्ष में प्रबल है।

28. जहां तक इस सम्बन्ध में वादीगण को हक आशायस (सुखाधिकार) प्राप्त होने का प्रश्न है, तो यह द्वितीय तथ्य वादीगण के पक्ष में इसलिए साबित नहीं है क्योंकि वादीगण स्वयं स्थानकवासी श्रावक संघ के अध्यक्ष व मंत्री स्वयं को बताकर आये है और जयमल्ल जैन छात्रावास और वीर भवन दोनों ही सम्पत्ति को स्थानकवासी संघ की सम्पत्ति होना बताकर आये, जिसका उल्लेख विवाद्यक सं02 में विस्तृत रूप से किया गया है तो विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि सुखाधिकार की मांग हमेशा किसी दूसरे व्यक्ति की सम्पत्ति पर की जाती है, ना कि स्वयं की सम्पत्ति पर। ऐसे में जब दोनों ही सम्पत्तियां वादीगण संघ की

होना बताकर आये है तो संघ को किस प्रकार से अपनी ही सम्पत्ति पर सुखाधिकार उत्पन्न होता हो? यह स्थिति वादी पक्ष के द्वारा दौराने बहस स्पष्ट नहीं की गई है जिससे सुखाधिकार प्राप्त होने के संबंध में विधिक स्थिति वादीगण के पक्ष में नहीं है। परन्तु उपरोक्त समग्र विवेचन से स्थानकवासी धार्मिक लोगों, संतों, साध्वियों का छात्रावास की तरफ से होकर वीर भवन में पहुंचने व आने जाने की संभावना पूर्णतया प्रबल है, जिससे यह विवाद्यक आंशिक रूप से वादीगण के पक्ष में तय किया जाता है।

29. विवाद्यक सं. 4 विद्वान विचारण न्यायालय ने निम्नानसार मुर्तिब की है कि–

> ''आया प्रतिवादीगण मार्क ओ, पी, क्यू पर लोहे की जालियां लगाकर सीढ़ियों के पूर्व में रास्ता बंद करना व दरवाजा एक्स व वाई को बंद कर ताला लगाना चाहते है, जिससे वादीगण बरण्डा मार्क अ, ब का उपयोग नहीं कर सकेंगे?'' (वादीगण)

30. उक्त तनकी के संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय ने यह अवधारणा बनाई कि–

"जहां तक प्रतिवादीगण की मौके पर लोहे की जालियां लगाकर सीढ़िया का रास्ता बंद करने और रास्ता मार्क एक्स व वाई बंद करने का प्रश्न है, तो यह तथ्य वादीगण की साक्ष्य से स्पष्ट रूप से साबित हुआ है तथा उनके द्वारा प्रदर्शित प्रदर्श–6 कमिश्नर रिपोर्ट से भी यह प्रकट है कि भोजनशाला के पास लोहे की जालियां पड़ी हुई है, बरामदा खुला है जहां कोई जाली लगी हुई नहीं है और प्रतिवादीगण के द्वारा अपने लिखित कथनों में की गई स्वीकृति से कि वे छात्रावास की सुरक्षा के नाम से विवादित मार्कों पर लोहे की जालियां आदि लगाकर इस आने जाने के रास्ते में को बंद करना चाहते है, जो रास्ता विवाद्यक संख्या 2 व 3 के वर्णन से छात्रावास से होकर वीर भवन में आने के लिए उपयोग में लिया जाना पाया गया है। ऐसे में विवाद्यक सं 2 व 3 के विस्तृत विवेचन के अनुसरण में यह विवाद्यक भी वादीगण अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहे है।'’

31. विवाद्यक सं. 5 विद्वान विचारण न्यायालय ने निम्नानसार मुर्तिब की है कि–

> ''आया विवादित सम्पत्तियों की मालियत कानूनन अपर्याप्त आंकी व कम न्याय शुल्क पेश किया एवं बिना घोषणा के वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा नहीं पा सकते। अतः वाद वादीगण खारिज किये जाने योग्य है?'' (प्रतिवादीगण)

32. उक्त तनकी के संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय ने यह अवधारणा बनाई कि–

"इसे साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है, जिस संबंध में प्रतिवादीगण ने अपने लिखित कथनों में यह अभिकथन दर्ज करवाये है कि वादीगण ने वादग्रस्त सम्पत्ति की जो मालियत आंकी है वह अपर्याप्त है और घोषणा का अनुतोष भी नहीं मांगा है जिससे यह दावा खारिज किये जाने योग्य है। परन्तु प्रतिवादीगण के द्वारा इस संबंध में दौराने साक्ष्य कोई विशेष अभिवचन दर्ज नहीं करवाये गये है एवं दावा भी मात्र स्थायी निषेधाज्ञा का है, जिससे वाद का मूल्यांकन किस प्रकार से अपर्याप्त रूप से किया गया है, यह प्रतिवादीगण साबित नहीं कर पाये हैं।

33. जहां तक प्रतिवादीगण का यह तर्क है कि वादीगण ने घोषणा का अनुतोष नहीं चाहा है, जिससे उनका दावा चलने योग्य नहीं है, तो यह तर्क भी कतई मान्य नहीं है क्योंक वादीगण विवादित छात्रावास की जमीन भी स्थानक की ही सम्पत्ति होना बताते आ रहे है, जिस सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के साक्षी डी0 ड 01 नेमराज व डी0 ड 02 जसवंतराज ने भी प्रदर्श–2 1988 के लेटर पेड, प्रदर्श–9 1999 के लेटर पेड व 1986 का प्रदर्श–11 निमत्रण पत्रिका का दौराने प्रतिपरीक्षण कोई प्रत्याख्यान दर्ज नहीं करवाया है और उक्त दस्तावेज पर श्री जयमल्ल जैन छात्रावास का श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ के अन्तर्गत कार्यरत संस्था होना बताया गया है। ऐसे में मात्र घोषणा के अभाव में (जबकि वादीगण उक्त विवादित सम्पत्ति का स्वयं की होना बताकर वाद लेकर आये) एवं उसके मूल्यांकन के आधार पर वाद खारिज करने की कोई संभावना प्रतिवादीगण के पक्ष में नहीं है। अतः यह विवाद्यक विरूद्ध प्रतिवादीगण तय किया जाता है।

34. विवाद्यक सं. 6 विद्वान विचारण न्यायालय ने निम्नानसार मुर्तिब की है कि–

''आया वाद के प्रतिवादीगण ने वादीगण के विरूद्ध सिविल न्यायाधीश (क.ख.) मेड़ता के न्यायालय में वाद सं 148/02 व विविध प्रकरण संख्या 103/02 पेश किया है जिसमें अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र उक्त वाद में प्रभावी आदेश को निष्प्रभावी करने की नीयत से यह वाद पेश किया है ऐसी स्थिति में इस वाद में किसी प्रकार की आज्ञा पारित नहीं की जा सकता है?'' (प्रतिवादीगण)

35. उक्त तनकी के संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय ने यह अवधारणा

बनाई कि–

"इसे साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है, जिसके सम्बन्ध में उन्होंने अपने जवाब दावे की अतिरिक्त आपत्तियों में वादीगण को वादग्रस्त जायदाद में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होना, स्वयं प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के विरूद्ध पूर्व में प्रस्तुत दीवानी वाद सं 148/02 एवं दीवानी विविध प्रकरण सं 103/02 विचाराधीन होना तथा उक्त वाद में दिनांक 22–11–02 को न्यायालय द्वारा वादीगण व अन्य के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाना तथा उसका आज भी प्रभाव होना एवं मौजूदा वाद महज उक्त वाद में कानूनी पेचिदगियां पैदा करने के लिए गलत दायर किया जाना व वाद ग्रस्त सम्पत्ति के लिए एक ही पक्षकारों के मध्य समान अनुतोष बाबत पूर्व में ही वाद विचाराधीन होने एवं जिसके संबंध में दो भिन्न–भिन्न आदेश जारी नहीं किया जा सकना तथा पूर्व में विचाराधीन प्रकरण से वर्तमान प्रकरण की किसी प्रकार की आज्ञा पारित नहीं की जा सकने से कई प्रकार की कानूनी पेचिदगियां उत्पन्न होना बताते हुए वादीगण का वाद केवल मात्र इसी आधार पर निरस्त किया जाना अभिवचित किया है। परन्तु वाद सं. 148/02 जो न्यायालय का अभिलेख है, का अवलोकन / अध्ययन करने से यह स्पष्ट रूप से प्रकट हो रहा है कि वह दावा वीर भवन के संबंध में था और उस सम्पत्ति की घोषणा के सम्बन्ध में अनुतोष चाहा गया था। जबकि हस्तगत दावा श्री जयमल्ल जैन छात्रावास के सम्बन्ध में होकर मात्र स्थायी निषेधाज्ञा से संबंधित है, तथा वाद संख्या 148/02 इस न्यायालय के द्वारा मुख्य रूप से प्रदर्श–15 (इस वाद का दस्तावेज) को आधार मानकर माननीय जिला न्यायालय में विवादित सम्पत्ति के संबंध में पदाधिकारी की स्थिति को लेकर वाद लम्बित होने के कारण खारिज किया जा चुका है। जिससे इस वाद में की जाने वाली किसी भी कार्यवाही का प्रभाव उस वाद में किए गए निर्णय पर पड़ता हो, ऐसी कोई संभावना प्रतिवादीगण अपने पक्ष में उत्पन्न नहीं कर पाये है। जिससे यह विवाद्य क विरूद्ध प्रतिवादीगण तय किया जाता है।

36. <u>विवाद्यक सं. 7, 7 ए व 7 बी</u> विद्वान विचारण न्यायालय ने निम्नानसार क्रमशः मुर्तिब की है कि–

''आया प्रतिवादीगण 35 ए सि प्र सं के तहत विशेष खर्चा प्राप्त करने के अधिकारी है? ''(प्रतिवादीगण)

''आया वादग्रस्त सम्पत्ति छात्रावास श्री जयमल्ल जैन छात्रावास पंजीकृत ट्रस्ट की सम्पत्ति है तथा ट्रस्ट एवं उसके ट्रस्टीगण

इस दावे में पक्षकार नहीं है जो इस दावा में आवश्यक पक्षकार है, इसके अभाव में यह वाद काबिले खारिज है? ''(प्रतिवादीगण)

"आया वादग्रस्त सम्पत्ति वीर भवन स्थानक श्री वर्द्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ पंजीकृत संस्था की सम्पत्ति है। संस्था एवं उसके पदाधिकारी इस दावा में पक्षकार नहीं है जो आवश्यक पक्षकार है। इसके अभाव में यह वाद काबिल खारिज के है? '' (प्रतिवादीगण)

37. उक्त विवाद्यकों के संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय ने यह अवधारणा बनाई कि–

38. "विवाद्यक सं. 7 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है, परन्तु प्रतिवादीगण ने इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की और ना ही दौराने बहस इसे प्रेस किया गया है। अतः यह विवाद्यक विरूद्ध प्रतिवादीगण तय किया जाता है।''

39. विवाद्यक सं. 7 ए साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। जिसके सम्बन्ध में उन्होंने यह अभिवचन किए है कि श्री जयमल्ल जैन छात्रावास एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है और ट्रस्टी तथा ट्रस्ट को पक्षकार बनाये बिना वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं है। तो इस संबंध में यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि विवादित जयमल्ल जैन छात्रावास ट्रस्ट से संबंधित एक दावा घोषणा का माननीय जिला न्यायाधीश महोदय, मेड़ता के यहां प्रदर्श–06 लम्बित है, जिसमें श्री जयमल्ल जैन छात्रावास के रजिस्टर्ड ट्रस्ट होने पर ही प्रश्नचिन्ह लगाया गया है और स्वयं प्रतिवादीगण के द्वारा अपने लिखित कथनों में यह स्वीकारोक्ति की गई है कि उनके द्वारा जो भी कार्य मौके पर किया जा रहा है व किया जावेगा वह वादग्रस्त सम्पत्ति के निमित बनी हुई संस्था/ट्रस्ट के द्वारा प्रदान किये गये अधिकार स्वरूप ही किया जावेगा, जिससे उनकी स्वयं की स्वीकृति इस बाबत है कि वे मौके पर अवरोध पैदा करने का कार्य कर रहे है, यह दावा भी मात्र स्थायी निषेधाज्ञा के लिए है, जिससे जो बाधा कारित करते हैं वह उसी के विरूद्ध प्राप्त की जाती है। जिसके संबंध में साक्षीगण ने स्पष्ट कथन किया है कि प्रतिवादीगण ही मौके पर लोहे की जालियां लगाकर फाटक पर ताला लगाकर आने जाने का रास्ता में अवरोध कर रहे है।

40. ऐसे में मात्र अवरोध पैदा करने वाले के विरूद्ध ही वादीगण के द्वारा दावा प्रस्तुत किया गया है, जिससे उक्त विवाद्यक में वर्णित आधारों पर वादीगण का दावा खारिज किए जाने योग्य हो ऐसी कोई संभावना

प्रतिवादीगण अपने पक्ष में उत्पन्न नहीं कर पाये और ना ही प्रतिवादीगण की ओर से, इस सम्बन्ध में कोई विशेष साक्ष्य प्रस्तुत हुई है। जबकि विवाद्यक संख्या 3 व 4 के विस्तृत विवेचन से प्रतिवादीगण के द्वारा मौके पर अवरोध कारित किया जाना उभरकर आया है, जिससे यह विवाद्यक प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय किया जाता है।''

41. विवाद्यक सं. 7बी साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण ने दौराने बहस इसे प्रेस नहीं किया है और यह दावा इस विवाद्यक में वर्णित वीरभवन से संबंधित नहीं है और प्रतिवादीगण के द्वारा श्रावक संघ के नाम पर बनायी गयी पंजीकृत संस्था से संबंधित एक दावा प्रदर्श–15 माननीय जिला न्यायालय में पूर्व से लम्बित होने से भी यह दावा विवाद्यक में वर्णित आधार पर खारिज किये जाने योग्य नहीं हो जाता है। अतः यह विवाद्यक भी विरूद्ध प्रतिवादीगण तय किया जाता है।

42. विवाद्यक सं. 8 जो अनुतोष बाबत विरचित की गई थी, जिस अनुसार प्रमुख विवाद्यक सं. 1, 2 व 4 वादीगण के पक्ष में पूर्ण रूप से तथा विवाद्यक सं. 3 वादीगण के पक्ष में आंशिक रूप से तय पाया गया है।

43. इस प्रकार विद्वान विचारण न्यायालय ने उपरोक्त 8 विवाद्यक विरचित कर पत्रावली पर आई सम्पूर्ण दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का परीशिलन कर विवेचन किया है।

44. हस्तगत प्रकरण में मुख्य विवाद भवन व छात्रावास के परिसर का है, जिस संबंध में विचारण न्यायालय में विवाद्यक सं. 2 विरचित की गई। जिस संबंध में विचारण न्यायालय में मौखिक साक्ष्य में परीक्षित गवाह पी.ड. 1 हस्तीमल ने दौराने साक्ष्य प्रदर्श 1 नजरी–नक्शा व पट्टा प्रदर्श 7 पेश किए जिस अनुसार छात्रावास की जमीन जैन छात्रावास मेड़ता के नाम से खरीदी होना प्रकट है तथा प्रतिपरीक्षण में जरिए प्रदर्श 8 जैन छात्रावास की जायदाद स्थानक संघ द्वारा खरीद की जाना प्रकट है। प्रकरण में प्रतिवादी पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह डी.ड. 1 नेमाराज व डी.ड. 2 जसवंतराज ने दस्तावेज प्रदर्श ए6 प्रदर्शित करवाया, जिसके अनुसार भी जयमल्ल जैन छात्रावास को स्थानक की सम्पत्ति होना बताया है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से यह तथ्य स्पष्ट रूप से प्रकट है कि स्थानक संघ व छात्रावास दोनो एक ही सम्पत्ति है। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने उक्त विवाद्यक को वादीगण के पक्ष में साबित कर किसी प्रकार की विधिक भूल नहीं की है तथा अपीलीय न्यायालय भी विचारण न्यायालय के मत का समर्थन करना उचित प्रतीत होता है।

45. विचारण न्यायालय द्वारा विवाद्यक सं. 3 छात्रावास से होकर वीर भवन में पहुंचने के संबंध में विरचित किया हुआ है, जिसमें अपीलाण्ट ने अपनी अपील में भी इस संबंध में तथ्य उल्लेखित कर छात्रावास की जमीन से वीर भवन जाने वाले रास्ते को अवैध बताया है। जिस संबंध में विचारण न्यायालय में आई साक्ष्य का अवलोकन करें तो वादीगण द्वारा प्रदर्शित प्रदर्श 8 के अनुसार छात्रावास की जमीन खरीदी तब इस भवन के पीछे के रास्ते से भवन में संत, साध्वियां आवागमन के लिए उपयोग करती आ रही है तथा प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रदर्श 38 जो पंचाट निर्णय पारित किया गया उस अनुसार भी चार्तुमास के समय या किसी धार्मिक कार्यक्रम के दौरान जयमल्ल छात्रावास से वीरभवन में संत, साध्वियों के आवागमान हेतु लिखा है, इस संबंध में मौका कमिश्नर रिपोर्ट प्रदर्श 16 के अनुसार विवादित सीढ़ियां खुली हुई है, जो पूर्व से पश्चिम की तरफ आवागमान के काम आती है। इस प्रकार विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त विवाद्यक को वादीगण के पक्ष में साबित करने में किसी प्रकार की विधिक भूल नहीं करना प्रतीत होता है तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त विवाद्यक के निस्तारण में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

46. अपीलाण्ट ने जो मुख्य रूप से विचारण न्यायालय में पारित निर्णय के विरूद्ध जो अनुतोष चाहा है, वह विवाद्यक सं. 4 से संबंधित है, जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को मार्क पी से क्यू के मध्य लोहे की जालियां ना लगाने हेतु पाबंद किया है। इस परिपक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन करें तो मार्क पी से क्यू रास्ता छात्रावा से होकर भवन में प्रवेश हेतु उपयोग व उपभोग हेतु लिया जाता है तथा मौका कमिश्नर रिपोर्ट के अनुसार मौके पर जालियां पड़ी हुई थी तथा प्रतिवादीगण ने अपने कथनों में उक्त लोहे की जालियां लगाकर इस रास्ते को बंद करने का कथन किया है। इस प्रकार उपरोक्त विवचेन से यह तथ्य प्रकट है कि उक्त रास्ता मार्क पी से क्यू आवागमन हेतु उपयोग में लिया जाता रहा है तथा विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी आवागमन के रास्ते को बाधित करना सुखाधिकार के नियमों के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। अतः इस प्रकार उक्त विवाद्यक के निर्णय में अपीलीय न्यायालय किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

47. विवाद्यक सं. 5 से 7 को साबित करने का भार प्रतिवादी पक्ष था जिसे विचारण न्यायालय में अपने पक्ष में साबित करवाने में प्रतिवादी पक्ष असमर्थ रहा है तथा अपील में भी इस संबंध में किसी विशेष प्रकार का

अनुतोष अपीलाण्ट द्वारा नहीं चाहा गया है।

48. उक्त किए गए विवेचन से विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय व डिक्री में न्यायालय कोई तथ्यात्मक या वैधानिक त्रुटि नहीं पाता है। विचारणीय बिन्दु अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय किया जाता है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नहीं है।

:::आदेश:::

49. परिणामस्वरूप अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण जतनराज मेहता व अन्य द्वारा प्रस्तुत दीवानी नियमित अपील विरूद्ध प्रतिवादीगण श्री वर्द्धमान स्थानकवासी व अन्य अस्वीकार कर खारिज की जाती है एवं विद्वान वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, मेड़ता द्वारा दीवानी मूल प्रकरण सं. 86/2005 वर्द्धमान स्थानकवासी व अन्य बनाम जतनराज मेहता व अन्य के प्रकरण में पारित जैर अपील निर्णय व डिक्री दिनांक 07.03.2018 सम्पुष्ट की जाती है।

50. मामले के तथ्य, परिस्थितियों को देखते हुए खर्चा अपील उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे। तद्नुसार डिक्री पर्चा बनाया जावे।

51. निर्णय की सत्य प्रति की पत्रावली सहित वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, मेड़ता की पत्रावली अविलंब भिजवाई जावे।

(अरूण कुमार बेरीवाल)
जिला न्यायाधीश, मेडता, (नागौर)।

52. निर्णय आज दिनांक 13.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

जिला न्यायाधीश, मेडता, (नागौर)